पत्रसंख्या–सी0सी0टी0 / निरी0अनु0 / (2019–20) / 1920006 / 54 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ

(निरीक्षण अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 11 अप्रैल 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

आप अवगत है कि डीम्ड के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के वादों के ऑनलाइन चिन्हीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 31-03-2019 थी । इसके अतिरिक्त परिपत्र / GO / नोटिफिकेशन के अनुसार रू0 50 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों का कर निर्धारण हेतु चयन रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऑनलाइन किया जाता है । यह कार्य दिनांक 31-05-2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाय । रु0 50 लाख से अधिक के वार्षिक टर्नओवर के ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु वार्षिक विवरणी (फार्म-52) दाखिल नही किये गये थे, कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्र संख्या-कमिश्नर कैम्प / 2018-19 / 1819075 / 701 / वाणिज्य कर दिनांक 19-12-2018 के द्वारा वर्ष 2016-17 के फार्म-52 दाखिल न करने वाले व्यापारियों के वादों का हस्तांतरण जोन स्तर पर परीक्षण कर एक ही स्थल / लोकेशन पर तैनात एक ही स्तर के कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य उ0प्र0 मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के नियम-71(2) के अंतर्गत दिनांक 30-12-2018 तक किया जा चुका है । शेष वर्ष 2016-17 के डीम्ड से बाहर कर निर्धारण वाद अधिकारियों की पेन्डेंसी पर उपलब्ध है ।

दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 व्यवस्था लागू हो गयी है, जिसमें रिटर्न आदि की समीक्षा का कार्य किया जाना आवश्यक है, किन्तु वैट वादों के निस्तारण में अधिकारियों के व्यस्त रहने के कारण रिटर्न आदि की समीक्षा हेतु पर्याप्त समय नही मिल पा रहा है । इस प्रकार यह आवश्यक है कि वैट व्यवस्था के अंतर्गत लम्बित कर निर्धारण वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 के उपरोक्तानुसार पेंण्डिग कर निर्धारण वादों का R5A जनरेट करते हुए निस्तारण प्रत्येक दशा में दिनांक 31-10-2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 के वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण भी प्रत्येक दशा में दिनांक 31-08-2019 तक तथा वर्ष 2017-18 के वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण दिनांक 31-10-2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । यदि किसी कर निर्धारण अधिकारी के पास अधिक वाद लम्बित हो , तो अन्य अधिकारियों को जिनके पास कम वाद लम्बित हों, को हस्तांतरित कर दिया जाए, तथा मुख्यालय को उक्त वादों के हस्तांतरण की सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 30-04-2019 तक दे दी जाए, जिससे प्रत्येक दशा में वादों का निस्तारण दिनांक 31-10-2019 तक हो सके ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।